



मोतीलाल नेहरु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद
Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad
प्रयागराज-211004(भारत)/Prayagraj-211004 (India)

वृक्षों की अति अल्प खुली नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के परिसर में
स्थित विभिन्न प्रजाति के हरे वृक्षों (33 नग) की खुली नीलामी है,
जो दिनांक 25.01.2019 को अपराह्न 12.00 बजे अधिशासी
अभियंता, मोतीलाल नेहरु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद के
कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

विस्तृत जानकारी के लिए www.mnnit.ac.in. देखें

सभी शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, विस्तार आदि, (यदि कोई हो), केवल
उपरोक्त दिये गये वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

निदेशक



मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद
प्रयागराज-211004 (भारत)
Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad
Prayagraj-211004 [India]

No. CWM/Auction/Trees/2018-19/ 425

Date: 17/01/2019

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज में स्थित विभिन्न प्रजाति के 33 (तैंतीस) नग हरे वृक्षों की नीलामी अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाना निश्चित किया गया है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था/फर्म/संगठन वृक्षों को देखने के लिए इस कार्यालय के अधिशासी अभियन्ता से सम्पर्क करें। नीलामी की तिथि, समय व स्थान एवं धरोहर राशि का विवरण निम्नलिखित है। नीलामी के लिए वृक्षों की सूची कार्यालय के सूचना पट्ट पर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है एवं इच्छुक व्यक्ति नीलामी सुचना तथा शर्तें संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है।

1.	नीलामी का स्थान	: कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रशासनिक भवन, मो०ने०रा०प्र०सं० इलाहाबाद
2.	वृक्ष / शाखाओं को दिखाने की तिथि व समय	: 18.01.2019 से 25.01.2019 तक (12:00 बजे दोपहर से 1:00 बजे दोपहर के मध्य में)
3.	नीलामी का दिन व समय	: 25.01.2019 (3:00 बजे दोपहर)
4.	धरोहर की राशि / धनराशि (अर्नेस्ट मनी)	: रु० 10,000/- (रु० दस हजार रुपये मात्र) राष्ट्रीयकृत बैंक से निदेशक, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज [Director, MNNIT Allahabad, Prayagraj] के नाम से बना बैंक ड्रॉफ्ट

 (मनीष कुमार)



मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद

प्रयागराज-211004 (भारत)

Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad

Prayagraj-211004 [India]

No. CWM/Auction/Trees/2018-19/425

Date: 17/01/2019

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मोनोरामप्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के शैक्षिक एवं आवासीय परिसर में 33 नग हरे वृक्ष स्थित हैं। जिसकी नीलामी दिनांक 25.01.2019 को 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किया जाना है।

अतः उपर्युक्त दिनांक 25.01.2019 को उपस्थित हो कर नीलामी में भाग ले सकते हैं।

नीलामी की शर्तें


1. केवल वही व्यक्ति नीलामी स्थल पर उपस्थित रह सकते हैं जिन्होंने धरोहर राशि जमा की हो या अपने साथ डीडी/एफडीआर के रूप में लाये हों। उनके अतिरिक्त उनके सहायकों को नीलामी स्थल पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय या किसी अन्य सरकारी कार्यालय द्वारा ब्लैकलिस्टेड किये गये व्यक्ति इस नीलामी में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
2. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नीलामी में पहले धरोहर राशि के रूप में ₹ 10,000.00 जमा करना अनिवार्य है। धरोहर राशि, राष्ट्रीयकृत बैंक से बना हुआ बैंक ड्रॉफ्ट जो कि निदेशक, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के पक्ष में देय हो द्वारा ली जायेगी।
3. बोली समाप्त होने के बाद सफल बोली देने वाले व्यक्ति को बोली की 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करनी होगी, शेष रुपया नीलामी की स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के बाद इस कार्यालय द्वारा निर्धारित समय (20 दिन) में जमा करना होगा, अन्यथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और वृक्षों को पुनः नीलाम कर दिया जाएगा तथा उसे ब्लैकलिस्टेड भी किया जा सकता है।
4. बोली अनुमानित न्यूनतम मूल्य से कम धनराशि पर स्वीकृति नहीं की जायेगी।
5. निदेशक, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज को बिना कारण बताये बोली निरस्त करने का अधिकार है।

[Signature]

6. इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति नीलामी में भाग ले रहा है, बोली स्वीकृति होने के बाद केवल उसी के नाम पर अधिकार पत्र जारी किया जाएगा तथा केवल उसी को वृक्ष कटवाने का अधिकार होगा। उस समय व्यक्ति को नीलामी को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर स्थानान्तरित करने/सबलेट करने/ दोबारा बेचने का अधिकार नहीं है। यदि इस नीलामी के समय या उसके बाद यह पाया गया कि उच्चतम बोली बोलने वाले ने किसी के छद्म नाम/फर्म में नीलामी ली है या उसे किसी अन्य दूसरे व्यक्ति फर्म को सबलेट कर दिया है या पेटी कांट्रेक्ट दे दिया है तो नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी बोली की राशि/धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी एवं नीलामी पुनः की जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी फर्म में 3 या 4 पार्टनर हैं तथा कोई व्यक्ति उस फर्म के पार्टनर की हैसियत से बोली लगा रहा है तो नीलामी शुरू होने से पहले ही उसे फर्म के पार्टनरशिप से संबंधित सभी सरकारी वैध कानूनी दस्तावेज जैसे इनकम टैक्स क्लीएरेन्स सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड (जिसमें सभी पार्टनर्स के नाम हो) आदि प्रस्तुत करने होंगे। नीलामी के बाद इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
7. बोली में लिए गए वृक्षों को 20 दिनों के अन्दर काटना होगा। यदि ठेकेदार उक्त अवधि के अन्दर वृक्षों को नहीं काट पाता है तो उन बचे वृक्षों को अवधि समाप्त होने के पश्चात जब्त कर लिया जाएगा और फिर से नीलाम कर दिया जाएगा।
8. ठेकेदार वृक्षों को काटते समय किसी प्रकार की सरकारी सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुँचायेगा। जैसे मकानों का ढूटना, बिजली के तारों, अन्य वृक्षों इत्यादि का ढूटना आदि किसी प्रकार का नुकसान होता है तो ठेकेदार उसे अपने खर्च पर बनवाकर देगा अन्यथा उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी और नियमानुसार ठेकेदार के प्रति कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
9. ठेकेदार कोई भी वृक्ष सरकारी अवकाश व रविवार को नहीं काटेगा और न ही कोई प्रकाष्ठ संस्थान परिसर से बाहर ले जायेगा। यदि ऐसा करता हुआ पाया गया तो प्रकाष्ठ तथा 20 प्रतिशत जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।
10. वृक्षों के काटने की शुरुआत से पहले ठेकेदार इस कार्यालय को लिखित रूप से सूचित करेगा कि किस समय वृक्ष काटने जा रहा है तथा इस कार्यालय के अधिशासी अभियन्ता या प्रतिनिधि के सामने ही वृक्ष काटे जाएंगे।
11. वृक्षों के काटने के बाद ठेकेदार को जमीन से जड़ निकालकर जमीन बराबर करनी होगी तथा ऐसा न होने पर उसकी जमानत राशि वापस नहीं होगी।

12. वृक्षों की कटान सुबह 8:00 से सांय 5:00 बजे तक ही कर सकते हैं तथा प्रकाष्ठ का उठान सांय 6:00 बजे के बाद संस्थान परिसर के बाहर नहीं होगा इसके बाद यदि कोई ठेकेदार प्रकाष्ठ का कटान करता है तो उसका आर्डर निरस्त कर दिया जाएगा।
13. नीलामी में विवाद की स्थिति में निदेशक मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज का निर्णय अंतिम होगा और कानूनी तौर पर मान्य होगा।
14. सक्षम अधिकारी नीलामी के समय वृक्षों की संख्या घटा—बढ़ा सकते हैं।
15. यदि वृक्षों को काटने के दौरान यह पाया गया कि ठेकेदार ने नीलाम किए गए वृक्षों / शाखाओं के अतिरिक्त कोई अन्य वृक्ष काट लिया है या उनको नुकसान पहुँचाया है तो नीलामी निरस्त करके उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा उससे हर्जना वसूलने के साथ—साथ पुलिस कार्यवाही भी की जायेगी। इस स्थिति में उनको इस कार्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालयों से ब्लैकलिस्टेड भी किया जा सकता है।
16. वृक्षों की नीलामी “जैसी है, जहाँ है”, के आधार पर है इसलिए वृक्षों की नीलामी से पहले सम्बन्धित ठेकेदार को वृक्षों को देखने के समय स्वयं इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि वृक्षों की संख्या, प्रकार तथा माप—स्थिति क्या हैं इसके बारे में नीलामी के बाद किसी तरह का विवाद या दावा मान्य नहीं होगा। यदि नीलामी के बाद उसकी स्वीकृति उच्च अधिकारियों से आने में कुछ समय लग जाता है तो इस अवधि में यदि नीलाम किए वृक्षों में से कुछ वृक्ष स्थल पर गिर जाते हैं तो इस विषय में ठेकेदार से कोई भी दावा या विवाद या पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
17. वृक्षों को काटने के पश्चात उठाने के समय या उसके बाद यदि ठेकेदार से किसी व्यक्ति का कानूनी/सिविल या फौजदारी का विवाद होता है तो उस विवाद में न तो यह कार्यालय पार्टी बनेगा और न ही उसके लिए जिम्मेदार होगा।
18. सम्बन्धित संस्थान में कार्य करते हुए ठेकेदार पर उस सम्बन्धित संस्थान परिसर के सभी नियम लागू होंगे।
19. ठेकेदार को वन विभाग/पुलिस विभाग आदि से सम्बन्धित औपचारिकताएं जैसे परमिट/ट्रांजिट परमिट आदि स्वयं ही लेना पड़ेगा तथा नियमानुसार देय शुल्क भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा जो कि इस कार्यालय का उत्तरदायित्व नहीं है।
20. सभी बोलीदाताओं के पास अपना पैन कार्ड होना अनिवार्य है एवं उसकी एक स्वप्रमाणित छायाप्रति भी देनी होगी।

21. उच्चतम बोली बोलने वाले को उच्चतम बोली पर आयकर अधिनियम के अन्तर्त देय शुल्क का भुगतान करना होगा।
22. बोली कम से कम रु० 100/- के गुणकों में आगे बढ़ेगी।
23. सफल बोलीदाता को अपनी पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो 4 (चार) अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करनी होगी।
24. यदि ठेकेदार इस नीलामी में भाग ले रहा है तो यह माना जाएगा कि उसने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ लिया है तथा उससे सहमत है तथा उसने सभी वृक्ष देख लिए हैं। इस विषय में भविष्य मे कोई विवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।
25. सभी कानूनी विवादों का क्षेत्र इलाहाबाद न्यायालय होगा।


(मनीष कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के परिसर में स्थित दिये गये 33 हरे वृक्षों का विवरण निम्न है :—

क्रम सं०	वृक्षों का विवरण	नवशे में चिन्हित वृक्ष
<u>शैक्षणिक परिसर</u>		
1.	मौलश्री	1
2.	मौलश्री	2
3.	मौलश्री	3
4.	मौलश्री	4
5.	मौलश्री	5
6.	मौलश्री	6
7.	मौलश्री	7
8.	मौलश्री	8
9.	मौलश्री	9
10.	मौलश्री	10
11.	गुलर	11
12.	मौलश्री	12
13.	अमलतास	13
14.	मौलश्री	14
15.	चिलबिल	15
16.	चिलबिल	16
17.	नरियल	17
18.	नीम	18
19.	अमलतास	19
20.	बलमखीरा (Medicinal plant)	20
21.	मदीना	21
22.	मदीना	22
23.	मदीना	23
24.	गुलर	24
25.	मौलश्री	25
<u>आवासीय परिसर</u>		
1.	कदम्ब	1
2.	अलअस्टोनिया	2
3.	कदम्ब	3
4.	कदम्ब	4
5.	कदम्ब	5
6.	कदम्ब	6
7.	कदम्ब	7
8.	कदम्ब	8
कुल वृक्षों का योग		25+8=33

मनीष कुमार
 (मनीष कुमार) १७/१६
 अधिशासी अभियन्ता